प्रकरण सं0 ....अनवान...............................

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

Continuation Note Sheet

23 5/17 मूल प्रकरण के साथ आवश्यक हेतु 29.6.2017 को पेश हो

29 6/17 मूल प्रकरण के साथ आवश्यक हेतु 22.8.17 को पेश हो

15 7/17 पत्रावली आज विशेष लोक अदालत में पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मूल प्रार्थना-पत्र 177 RTA के साथ पेश किया गया। मूल प्रकरण इस न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। चूंकि प्रा.पत्र 212 एवं 177 RTA एक ही प्रकृति के प्रकरण है। तथा 212 RTA के प्रा० पत्र का निस्तारण मूल प्रकरण 177 की सुनवाई के साथ ही होना है। अतः अलग से 212 RTA की सुनवाई का कोई औचित्य प्रतीत नही होता, आवश्यकता पड़ने पर धारा 177 की पत्रावली में अन्तरिम आदेश दिया जा सकता है। अतः यह प्रकरण (पत्रावली) 177 RTA की मूल पत्रावली सं० 289/2012 के साथ समेकित (club) की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम कर मूल वाद सं० 289/2012 के साथ शामिल की जावे।

(यशपाल आहूजा)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर